

दीक्षा विरुद्ध शासन द्वारा आ.के.विजय नगर

23-04-2026

आवेदक/सुपुर्दगीदार द्वारा श्री प्रमोद उपाध्याय अधि. उप.
प्रत्यर्थी राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री एल.डी.पाटीदार उपस्थित।
प्रकरण पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं सुपुर्दगी तर्क हेतु
नियत है।

मूल सत्र क्रमांक 132/26 आ.के.विजय नगर विरुद्ध
निकुंज आदि निष्पादन लिपिक द्वारा प्रस्तुत।

आरक्षी केन्द्र भंवरकुआ से पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत।

इसी प्रक्रम पर आवेदक/सुपुर्दगीदार की ओर से
अधिवक्ता श्री प्रमोद उपाध्याय ने आवेदन पर बल नहीं देना
व्यक्त किया एवं इस आशय की टीप उनके द्वारा आदेश पत्रिका
पर भी अंकित की गई।

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन बल नहीं देने से
निरस्त किया जाता है।

यह एम.जे.सी. प्रकरण मूल प्रकरण के साथ संलग्न किया
जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर सी.आई.एस. में अपलोड
किया जावे।

—सही—

(वर्षा सिंह भाटी)

तैतीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
इंदौर (म0प्र0)